



28/12/22

3

पत्रावली दिनांक 26/12/22 को  
अवकाश होने के कारण आज पेशी में ली गई।

शकुलाल लोदी के उपस्थित/वकील  
प्रार्थ प्रार्थना पर Not Press  
कले के लिखना प्रार्थना पर प्रार्थ  
वकील प्रार्थ द्वारा Not Press  
आधार पर इसी स्तर पर खाफि  
किना जाता है तथा न्यायालय द्वारा  
जारी अह्वार निषेधाज्ञा दिनांक  
10/12/22 को निरस्त किना जाता है  
पत्रावली सैलरी में शुमार   
मूल वास संलग्न रहे

शकुलाल लोदी  
Not Press  


उपखण्ड अधिकारी  
रायसिंहनगर